

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,

कोरोना-19
अति आवश्यक


क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/4080

दिनांक: 24-03-2021

:- कार्यालय आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 479 दिनांक 07.05.2020 द्वारा संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर विदेश में फसे भारतीय नागरिक के हवाई यात्रा के माध्यम से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर एयरपोर्ट पर आने की सम्भावना देखते हुये निर्देशित किया गया था कि वे सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर से समन्वय स्थापित करते हुये सम्बन्धित एयरपोर्ट पर यात्रियों की पूर्व में जारी निर्देशानुसार स्क्रीनिंग करने हेतु मेडिकल टीम लगाना सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में कोविड-19 रोगियों की पुनः वृद्धि को देखते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।



मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/4080

दिनांक: 24-03-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. निजी सचिव निदेशक (जन स्वा.) मुख्यालय।
5. अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) मुख्यालय।
6. नोडल ऑफिसर, आईडीएसपी, मुख्यालय।
7. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
8. क्षेत्रिय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भारत-सरकार, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को पालनार्थ।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर, बीकानेर, एवं उदयपुर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं उदयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल एवं अपलोड करने वास्ते।
13. रक्षित पत्रावली।


(अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर)